न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 22/2017

RCMS No. 2017/00145

प्रार्थी:–

भोलाराम टांक पुत्र वीराराम टांक
जाति मारू कुम्हार निवासी बालराई
तहसील रानी

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. कपूरचन्द पुत्र जेठाजी जाति कुमावत निवासी बालराई तहसील रानी
2. ग्राम पंचायत बालराई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बालराई तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री जगदीश प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक:–14/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत, बालराई द्वारा जारी मिसल संख्या 74/2006 के सम्बन्ध में जारी प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 21.09.2005 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 150 को अपास्त कराने का निवेदन किया। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है। ग्राम बालराई में राईकों की ढाणी कपुरडी नाडी के रास्ते पर प्रार्थी का कब्जासुदा भूखण्ड आया हुआ स्थित है। उक्त भूखण्ड के दक्षिण दिशा में पाबुजी नाडी से कपुरडी नाडी तक पानी जाने हेतु वाळा बना हुआ है, जिसमें गांव के तालाब से ओवरफ्लो का पानी कपुरडी नाडी में जाता है। उक्त नाडी की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि वाला की भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है। उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर मिट्टा डाल कर कब्जा किया गया है, जिससे वाले में पानी का बहाव प्रभावित हुआ है तथा पानी ईकट्ठा होने लगा गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई मिसल कायम की गई। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की जो प्रक्रिया विहित है, उसमें से किसी भी नियम की पालना नहीं की गई तथा विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टे की आड में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर मिट्टी डालकर कब्जा कर लिया है तथा वर्षा के पानी का बहाव अवरूद्ध होने से पानी आबादी एवं मकानों में जा रहा है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

स्वीकार करावें एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की जाकर न्यायालय को भ्रमित कराने का प्रयास किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा निगरानी में पाबुजी की नाडी का वर्णन किया गया है, उसका सम्पूर्ण रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा है, उसमें से 3 बीघा भूमि जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेश क्रमांक एफ.12(3)(28)राज./78/546–50 दिनांक 30.01.1998 के अनुक्रम में आबादी दर्ज की जा चुकी है। उक्त आबादी भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड बना कर आवंटन किया गया है एवं मौके पर आबादी बस चुकी है। मौके पर किसी भी रूप में भूमि का बहाव क्षेत्र नहीं है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी का पट्टासुदा केलुपोश मकान स्थित है। उक्त पट्टा पर सरपंच, ग्राम सेवक, दो वार्ड पंच एवं स्वयं प्रार्थी के भी हस्ताक्षर है। यदि किसी प्रकार का बहाव क्षेत्र होता, तो निश्चय ही इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता, जो नहीं किया गया। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा आवेदन शुल्क, नक्शा शुल्क आदि जमा करवाए। जो रसीद संख्या 74 दिनांक 05.09.2006 से जमा करवाए। उसके पश्चात मिसल में एक वर्ष तक विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा पारित की, जिसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भी जैर निगरानी पट्टे पर सरपंच, ग्राम सेवक, वार्ड पंच, गवाह आदि के हस्ताक्षर है, जिससे प्रकरण में किसी प्रकार के मिलावट या अनियमितता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड पंचो की कमेटी गठित की गई, जिनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं इससे पूर्व ग्राम सेवक द्वारा मौका निरीक्षण कर नक्शा तैयार किया गया है। इसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जिसमें निर्धारित समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए एवं उसके पश्चात पंचायत कोरम की उपस्थिति में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत आबादी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विधिवत तरीके से पट्टा जारी किया है, क्योंकि दिनांक 28.05.2009 को ग्रामवासी बालराई द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर जो जांच की गई, उसमें अप्रार्थी संख्या 1 का नाम ही नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाले की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अत निगरानी खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.10.2016 के जरिये यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी में यह आधार लिया गया है कि जैर निगरानी पट्टा पानी के बहाव क्षेत्र में जारी किया गया है, जिसे अप्रार्थी द्वारा नकारा गया है। इस सम्बन्ध में पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा पानी की निकासी के मार्ग में जैर निगरानी वादस्थ भूमि स्थित होना जाहिर किया। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह नियम 157 में तहत जारी किया गया है, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर न तो मकान बना हुआ था एवं न ही वर्तमान में मकान बना हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 नियम 157 के तहत पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, बालराई द्वारा मिसल संख्या 74/2006 के सम्बन्ध में जारी प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 21.09.2005 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 150 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति ग्राम पंचायत बालराई एवं कीरवा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली